# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद ( अजमेर )

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 7/2022

उनवान

1. भंवरी पत्नि स्व. पॉचू
2. हीरालाल,
3. बीरा पुत्र स्व. बोदू
4. सेठी पत्नि स्व. बोदू
5. मंगली,
6. गांधी,
7. गुमानी,
8. मीरा,
9. गंगा पुत्री स्व. बोदू समस्त जातिगण रावत निवासी फारकिया तहसील नसीराबाद

— वादीगण :– जरिये अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. छोटी पुत्री मेवा
2. पप्पू,
3. हनुमान पुत्र मेवा समस्त जातिगण रावत निवासी फारकिया हाल निवासी देवरिया तहसील भिनाय ,
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील कार्यालय नसीराबाद,

— प्रतिवादीगण :– 4 जरिये तहसीलदार नसीराबाद, 1 से 3 अनुपस्थित

*वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए रा0 का0 अधि0 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956*

–: निर्णय :– दिनांक :– 25/6/25

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम फारकिया में वादीगण के पूर्वज बोदू की कयशुदा खातेदारी/काश्तकारी की अबारारजी है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

| चौसाला ख.न. | रकबा | वंर्किग ख.न. | रकबा | हाल ख.न | रकबा |
|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | 1–5–0 | 1395 | | | 0.08 |
| | | | | | 0.02 |
| | | | | | |
| | | | | | |

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:22:40 IST
Reason: SelfAttested

उपरारेक्त आराजी वंर्किग खसरा नम्बर 1151 रकबा 1–5–0 मेवा पुत्र गोपी की खातेदारी में दर्ज थी। ततकालीन खातेदार मेवा पुत्र गोपी के द्वारा आराजी मतुतमाजा वादीगण के पूर्वज बोदू पुत्र मोंती को दिनांक 20.07.1979 को जरियें विकय पत्र बैचान कर कब्जा व दखल

—2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

सौप दिया था। तत्समय से आराजी मुतनाजा पर बोदू पुत्र मोती व उसकी मृत्यु के बाद वारिसान का कब्जा चला आ रहा है। केता बोदू की मृत्यु हो गयी है जिसके वारिस वादीगण ही है तथा विकेता मेवा पुत्र गोपी की भी मृत्यु हो गयी है जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 1 से 3 है। उक्त आराजी के वंर्किग खसरा नम्बर व हाल खसरा नम्बर विकय पत्र की पालना मकें वादीगण/केता के नाम दर्ज करनें के बजाय त्रुटिपूर्ण तरीके से केता के वारिस के नाम दर्ज कर दिये। उक्त आराजी का नामान्तकरण विकय पत्र की पालना में वादीगण के नाम दर्ज नही होने के कारण प्रतिवादीगण उक्त आराजी पर दखलदांजी कर रहे है तथा अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादीगण को घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। राज. पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया। प्रकरण में कारेई खण्डन नही होने के कारण तनकी कायम नही की गयी।

अधिवक्ता वादीगण ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख, विकय पत्र पेश किये साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज0 पैराकार की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज अनुसार ग्राम फारकिया के चौसाला खसरा नम्बर 1151 चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2019 से 2022 के खाता संख्या 46/122 में मेवा पुत्र गोपी के पिता गोपी पुत्र हमीरा के नाम दर्ज है। गोपी पुत्र हमीरा के पुत्र मेवा पुत्र गोपी द्वारा चौसाला खसरा नम्बर 1151 रकबा 1–5–0 का बैचान जरियें पंजीबद्व विकय पत्र दिनांक 16.08.1979 को बोदू पुत्र मोती को कर दिया था। उक्त चौसाला खसरा नम्बर 1151 के वंर्किग खसरा नम्बर 1395 बने है जो वंर्किग जमाबंदी के खाता संख्या 221/208 में विकेता मेवा पुत्र गोपी के नाम खातेदारी दर्ज है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत हाल राजस्व अभिलेख में भी उक्त आराजी विकेता के वारिस प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। प्रतिवादीगण ने उक्त विकय पत्र को सक्षम न्यायालय में चुनौती नही दी है। आराजी मुतनाजा वादीगण की विधिक कयशुदा है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 63 के अनुसार विकेता के खातेदारी अधिकारों का अवसान हो चुका है। प्रतिवादीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। राज. पैरोकार ने वाद का खण्डन नही किया है। विकय पत्र की पालना में आराजी मुतनाजा केता के नाम दर्ज करने के बजाय हाल राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम त्रुटिपूर्ण दर्ज कर दी गयी है। आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। हाल खसरा नम्बर 1051 रकबा 0.05 में से 0.044 ही वंर्किग खसरा नम्बर 1395 से बना है अतःउक्त खसरा नम्बर के 0.04 रकबे पर ही वादीगण खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है। खसरा नम्बर 1032, 1033 व 1052 के पूर्ण रकबे पर वादीगण खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है।

उक्तानुसार ग्राम फारकिया के हाल खसरा नम्बर 1032 रकबा 0.08, 1033 रकबा 0.02, 1051 मिन रकबा 0.04 व 1052 रकबा 0.06 [illegible] "स्वीकार" किया जाता है। वादीगण को उक्त आराजी का खातेदार घोषित [illegible] है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में [illegible] पर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:22:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

भंवरी बनाम छोटी

दावा बाबत :– 88, 188 राज. का. अधि0 1955, 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 7/2022
पेश करने की दिनांक – 10.01.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम फारकिया के हाल खसरा नम्बर 1032 रकबा 0.08, 1033 रकबा 0.02, 1051 मिन रकबा 0.04 व 1052 रकबा 0.06 की आराजी पर वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादीगण को उक्त आराजी का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

---

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक——— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 25 माह 6 सन् **2025** को जारी की गयी।

| मुददई | मुदायला |
|---|---|
| स्टाम्प अरजी दावा<br>स्टाम्प वकालतनामा<br>स्टाम्प वजह सबूत<br>मेहनताना वकील<br>फीस कमिश्नर<br>खर्चा गवाहान<br>बाबत् इजराय हुक्मनामा<br>मुतफरिक | स्टाम्प वकालतनामा<br>स्टाम्प अरजी<br>मेहनताना वकील<br>खर्चा गवाहान<br>फीस कमिश्नर<br>बाबत् इजराय हुक्मनामा<br>मुतफरिक |
| मिजान | मिजान |

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:22:40 IST
Reason: SelfAttested